न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ , जनपद :सीतापुर , तहसील :महमूदाबाद
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202010640603438
वाद संख्या:- 03438/2020
अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव बनाम गांव सभा बांसुरा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 17/12/2020

प्रार्थी अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव निवासी 35 पटेल नगर निकट से0 9 इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 दिनांक 10.11.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429 फ0 की खाता सं0 376 की गाटा सं0 2071/1.076 हे0 भाग पर कृषि कार्य नहीं होता है व्यवसायिक/आवासीय उपयोग होता है। अन्त में भूमि गाटा सं0 2071/1.076 हे0 स्थित ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद को व्यवसायिक/अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
उक्त प्रकरण में तहसीलदार महमूदाबाद से जॉच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार महमूदाबाद ने जॉच आख्या दिनांक 02.12.2020 में अभिलिखित किया है कि ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429 फ0 की खाता सं0 376 की गाटा सं0 2071/1.076 हे0 पर अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव निवासी 35 पटेल नगर निकट से0 9 इन्दिरा नगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वाद भूमि का सीमांकन किया गया है, उक्त भूमि पर व्यवसायिक गतिविधिया विद्यमान है तथा विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है, कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। गाटा सं0 2071/1.076 हे0 वाद भूमि पर वादी का कब्जा है। भूमि गाटा सं0 2071/1.076 हे0 स्थित ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद को अकृषिक घोषित होने से लोक उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। वाद भूमि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की नही है। भूमि गांव सभा, सीलिंग या पट्टे की नहीं है। भूखण्ड में आवासीय गतिविधियां होने के कारण तहसीलदार महमूदाबाद द्वारा उक्त भूखण्ड को आकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।
तहसीलदार महमूदाबाद की आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। सम्मन बाद तामील संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है।
मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार महमूदाबाद की जॉच आख्या एंव अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। तहसीलदार महमूदाबाद की जॉच आख्या एंव अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट है ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429 फ0 की खाता सं0 376 की गाटा सं0 2071/1.076 हे0 पर अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव निवासी 35 पटेल नगर निकट से0 9 इन्दिरा नगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वाद भूमि का सीमांकन किया गया है। उक्त भूमि पर आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियां विद्यमान है तथा विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है, कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदक के गाटा संख्या 2071/1.076 हे0 की मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सीतापुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 2200000/- प्रति हेक्टेयर की दर से 23672/- होती है, जिसका 1 प्रतिशत वादी द्वारा चालान नं0 10 द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को जमा की गयी है तथा 1 प्रतिशत बराबर 23675.00 रू0 कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप होती है जो वादी द्वारा कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में जमा कर कोर्ट फीस के स्टाम्प दाखिल किये गये है। वाद भूमि पर वादी का कब्जा है। भूमि गाटा सं0 2071/1.076 हे0 स्थित ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद को अकृषिक घोषित होने से लोक उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। वाद भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नही है। भूमि गांव सभा, सीलिंग या पट्टे की नहीं है। तहसीलदार महमूदाबाद द्वारा वाद भूमि को आकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत की गई है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतएव तहसीलदार महमूदाबाद की संस्तुतिपूर्ण आख्या के क्रम में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।
आदेश
अतः उपर्युक्त विवेचना एंव तहसीलदार महमूदाबाद की संस्तुतिपूर्ण आख्या दिनांकित 02.12.2020 के क्रम में ग्राम बांसुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429

फ0 की खाता सं0 376 की गाटा सं0 2071/1.076 हे0 जो अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव निवासी 35 पटेल नगर निकट से0 9 इन्दिरा नगर लखनऊ के नाम जरिये विक्रय पत्र के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार महमूदाबाद की आख्या तथा नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो, आदेश की एक प्रति तहसीलदार महमूदाबाद तथा उपनिबंधक महमूदाबाद को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्वयक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाय।

(पी0एल0मौर्य)
उपजिलाधिकारी/सहायककलेक्टर
महमूदाबाद

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"